

फार्म - एनबीएस - 4

जमाराशियों की अदायगी से संबंधित त्रैमासिक विवरणी

(जनता की जमाराशियों की धारक और पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए प्रस्तुत जिनके आवेदन पत्र को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-इक के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है/ जिनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया है उन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा यह विवरणी तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के अंदर भारतीय रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की जानी है जिसके अधिकार-क्षेत्र में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय आता है।)

-----को समाप्त तिमाही की विवरणी

फाईल सं.	
पहचान सं.	
कारोबार का स्वरूप	
जनपद कूट सं.	
राज्य कूट(कोड)	
(रिज़र्व बैंक द्वारा भरा जाना है)	

कंपनी की रूपरेखा(प्रोफाइल)

1.	कंपनी का नाम						
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता:						
		पिन	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		फोन नंबर		फैक्स नंबर		ईमेल पता	
3.	अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी का नाम, फोन नंबर एवं ई-मेल पता						
4.	पंजीकरण प्रमाणपत्र संबंधी आवेदन पत्र के अस्वीकृत होने/रद्द होने की तारीख						
	कंपनी द्वारा धारण की हुई जमाराशियों का ब्योरा	राशि लाख रुपए में					
5.	पंजीकरण प्रमाणपत्र संबंधी आवेदन पत्र के अस्वीकृत होने/रद्द होने की तारीख को जनता की जमाराशियाँ						

6.	विवरणों जिस तिमाही के लिए प्रस्तुत की जा रही हैं उसकी समाप्ति पर जनता की जमा राशियाँ	
7.	उक्त मद सं. 6 में से नामित बैंक, यदि कोई हो, के पास एस्करो खाते में रखी जमा राशियाँ	
8.	टिप्पणी: अदायगी योजना का ब्योरा संक्षेप में दें।	

घोषणा

हम घोषित करते हैं कि उल्लिखित जानकारी सत्य और सही है।

हम यह भी घोषित करते हैं कि कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कोई भी कार्य नहीं कर रही है।

स्थान :

प्राधिकृत अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

दिनांक:

(कंपनी की मुहर लगाएं)